फा. सं 11013/2/2014-स्था.(ए-III)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांक: 16 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में जांच करने के चरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को सचिव (कार्मिक) के साथ शिकायत समितियों के अध्यक्षों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के मामलों में 'स्टेप गाइड' कदम तैयार करे। केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 14 (2) में निर्धारित किया गया है कि गठित की गई शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग में, जहां तक संभव हो, इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी जांच करेगी।

2. "स्टेप्स फार कंडक्ट ऑफ इन्क्वायरी इन कंपलेन्टस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट" नामक संलग्न मार्गदर्शिका (गाइड) का उद्देश्य नियमों/अनुदेशों में यथा निर्धारित कार्यविधि तैयार करना है। तथापि, यह नियमों/अनुदेशों के संदर्भ के लिए विकल्प नहीं है। शिकायत समितियों के सदस्यों तथा इस प्रकार की-जांचों के निपटान के लिए आवश्यक अन्य लोगों को केंद्रीय सिविल सेवाएं/वर्गीकरण नियंमण और अपील नियम 1965 और उसके अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (ई)

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(मानक सूची के आधार पर)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हेतु आयोग, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आयोग, नई दिल्ली ।
13. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम), 13 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली ।
14. सभी मंत्रालयों/विभागों के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी ।
15. एडीजी (एमएंडसी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
16. एनआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (प्रधान कार्यालय ज्ञापन और आदेशों स्थापना और आचरण नियम के तहत इस मंत्रालय के वेबसाइट पर उक्त को अपलोड करने के लिए)

यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के चरण

शिकायत समितियां

1. माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में दिए गए निर्णय के अनुपालन में सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संगठनों में शिकायत समितियां गठित की गई हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 4(I) के अनुसार, प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति (इसके बाद इसे "शिकायत समिति" कहा जाएगा) गठित की जानी है। धारा 4(2) के अनुसार, इसकी अध्यक्ष एक महिला होगी और कम से कम इसके आधे सदस्य महिला होंगी। किसी कार्यालय में उचित वरिष्ठ स्तर की किसी महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, उसे किसी अन्य कार्यालय से भी नियुक्त किया जा सकता है। वरिष्ठ स्तरों से किसी अवांछित दबाव या प्रभाव की संभावना समाप्त करने के लिए ऐसी शिकायत समितियों को किसी तीसरे पक्ष चाहे कोई गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई अन्य निकाय जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो, शामिल करना चाहिए।

यौन उत्पीड़न क्या है?

2. "यौन उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कृत्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या आशयित) सम्मिलित है:-

(i) शारीरिक स्पर्श, बुरी नियत से पास आने की कोशिश करना; या
(ii) यौन संबंध बनाने या उस संबंध में विषयक मांग करना; या
(iii) यौन अर्थों वाली टिप्पणियां करना; या
(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या
(v) कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, शाब्दिक या मौखिक आचरण करना जिससे यौन-भाव प्रकट होता हो।

3. अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को जो यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं या उससे संबंधित हैं, यौन उत्पीड़न माना जा सकेगा:-

- (i) नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वचन देना; या
- (ii) नियोजन में अहितकर व्यवहार करने की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से धमकी देना; या
- (iii) वर्तमान या भावी नियोजन की स्थिति के बारे में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से धमकी देना; या
- (iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए भयभीत करने वाला या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य का माहौल बनाना; या
- (v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।

<u>कार्यस्थल की परिभाषा :</u>

4. अधिनियम की धारा 2(ण) के अनुसार "कार्यस्थल" शब्द के दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित स्थान आते हैं:-

- (i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, अधिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, आदि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन हो या पूर्णत: या अंशत: उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता हो;
- (ii) अस्पताल या परिचर्या गृह (नर्सिंग होम);
- (iii) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम आदि;
- (iv) ऐसा स्थल, जहां नियोजन के कारण या नियोजन के दौरान कर्मचारी ने उस स्थल की यात्रा की हो, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया परिवहन का साधन भी शामिल है;
- (v) कोई रहने का स्थान या मकान;

<u>आरंभिक राहत</u>

5. समिति के पास निम्नलिखित की सिफारिश करने की शक्ति भी होगी:-

- (क) पीड़ित महिला अथवा आरोपित अधिकारी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना; अथवा
- (ख) पीडित महिला को तीन माह तक की अवधि की छुट्टी प्रदान करना।

(ये छुट्टियां उसके छुट्टी खाते से नहीं काटी जाएंगी।)

शिकायत समिति का जांच प्राधिकारी होना

6. सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14(2) के परंतुक के अनुसार, यौन उत्पीड़न के शिकायत के मामले में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग आदि में गठित शिकायत समिति ही इन नियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी मानी जाएगी। पृथक कार्यविधि निर्धारित किए जाने तक शिकायत समिति नियम 14 में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार यथा व्यवहार्य रूप से जांच जारी रखेगी।

अन्वेषण की आवश्यकता

7. यौन उत्पीड़न की शिकायतें इसे सीधे प्राप्त होने पर अथवा प्रशासनिक प्राधिकारियों आदि के माध्यम से प्राप्त होने पर या इनके बारे में स्वत: संज्ञान लेकर शिकायत समिति इन पर कार्रवाई कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, पीडित महिला अथवा शिकायतकर्ता द्वारा ऐसी किसी घटना के घटित होने के तीन माह के भीतर तथा बार-बार घटित हुई इस प्रकार की घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना घटित होने के तीन माह के भीतर इसकी शिकायत करना अपेक्षित है। तथापि, शिकायत समिति, लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के आधार पर; यदि वह यह मानती है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिनके कारण शिकायतकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत नहीं कर सका, तो इस समय-सीमा को बढ़ा सकती है।

8. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निपटान शिकायत समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर दोषारोपण के तथ्यों का सत्यापन किए जाने की आवश्यकता होती है। इसे प्रारंभिक जांच/तथ्य का पता लगाने वाली जांच/अन्वेषण कहा जाता है। शिकायत समिति अन्वेषण करती है। वे दस्तावेजी सबूत एकत्रित करने के साथ-साथ, शिकायतकर्ता के साथ ही संभावित गवाहों का बयान दर्ज कर आरापों की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करती है। यदि आरोप पत्र जारी करना अनिवार्य हो जाता है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी लांछन का प्रारूपण तैयार करने के लिए अन्वेषण एवं साथ ही उन साक्ष्यों पर निर्भर करता है जिनके द्वारा आरोप सिद्ध किए जाने हैं। इसलिए यह अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

दोहरी भूमिका

9. उपरोक्त उल्लिखित नियम 14(2) के परंतुक के परिप्रेक्ष्य में शिकायत समिति सामान्यत: दो चरणों में शामिल होगी। प्रथम चरण अन्वेषण है जिस पर पहले ही पूर्ववर्ती पैरा में विचार-विमर्श किया जा चुका है। द्वितीय चरण वह है जब समिति जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य

करती है। यह अनिवार्य है कि दोनों भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझा जाए और जहां तक संभव हो जांच सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम14 के अनुसार की जाए। प्रक्रिया का पालन न करने पर जांच दूषित हो सकती है।

10. चूंकि शिकायत समिति उपर उल्लिखित नियम 14(2) के अनुसार जांच प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करती है इसलिए जरूरी है कि अन्वेषण चरण पर निष्पक्षता बनाई रखी जाए। ऐसा न होने पर जांच के दौरान पक्षपात के आरोप लग सकते हैं जिससे जांच दूषित हो सकती है। इन अनुदेशों के अनुसार जब किसी जांच प्राधिकारी के विरूद्ध पूर्वाग्रहग्रयुक्त होने के आरोप लग जाते हैं, तो ऐसे आरोप लगने पर जांच प्राधिकारी को तब तक जांच रोक कर रखनी होती है जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी पक्षपात के आरोपों पर निर्णय न ले ले। इसके अतिरिक्त यदि इस आधार पर समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध पक्षपात का आरोप तय हो जाता है तो इस समिति को जांच करने की अनुमति नहीं होगी।

11. उपरोक्त के मद्देनजर जब शिकायत समिति आरोपों का अन्वेषण करे तो इसे इस बात की सिफारिश करनी चाहिए कि उन आरोपों में प्रथमदृष्टया ऐसा सार है या नहीं कि औपचारिक जांच किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें न्यायिक सिफारिश करने या ऐसे मत व्यक्त करने से बचना चाहिए जिनसे जांच के दौरान उनके मतों को पूर्वाग्रहयुक्त समझा जाए।

<u>आरोप पत्र जारी करने और जांच करने के संबंध में निर्णय</u>

12. अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस दृष्टि से रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए कि आरोपित अधिकारी को औपचारिक आरोप पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। नियम 14 (3) के अनुसार आरोप पत्र अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारी या उसकी ओर से जारी किया जाना अपेक्षित होता है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी उस पर निर्णय लेते हैं तो आरोपित अधिकारी को आरोप पत्र पर जवाब देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नियम 14(5) के अनुसार आरोपित अधिकारी के जवाब पर विचार करने के पश्चात जांच करने के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।

13. यदि आरोपित अधिकारी, आरोपों को स्पष्टत: और बिना शर्त स्वीकार करता है तो उसके विरूद्ध जांच करने के लिए औपचारिक जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 15 के अनुसार उस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

<u>जांच-पड़ताल के चरण</u>

14. यदि आरोपित अधिकारी इन आरोपों से इनकार करता है और उसका जवाब विश्वसनीय नहीं है तो उसके जवाब के साथ आरोप पत्र को औपचारिक जांच-पड़ताल के लिए शिकायत समिति के पास भेजा जाएगा और नियम 14(6) में उल्लिखित दस्तावेजों को शिकायत समिति के पास अग्रेषित किया जाए। इस अधिनियम की धारा 11(3) के अनुसार जांच-पड़ताल करने के

प्रयोजन से निम्नलिखित मामलों के लिए अभियोग का विचारण करते समय शिकायत समिति के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालयों में निहित होती हैं अर्थात :-

(*क*)किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बुलाना या हाजिरी सुनिश्चित करना और शपथ दिलवाकर उससे पूछताछ करना।

(ख) दस्तावेजों की आवश्यकता और उनकी प्रस्तुति; और

(ग) अन्य कोई भी निर्धारित किया जाने वाला मामला।

इस अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन आवश्यक है कि जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

15. अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम 14(5)(ग) के अनुसार में अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायत समिति/जांच प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के पास भेजे जाने अपेक्षित होते हैं। शिकायत समिति, इसके पश्चात प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और आरोपित अधिकारी को बुलाएगी। प्रथम चरण के रूप में आरोपित अधिकारी से औपचारिक रूप से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपों को स्वीकार करता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, आरोपों को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त स्वीकार कर लिए जाने पर उन आरोपों के लिए कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाएगी और आरोपित अधिकारी की स्वीकारोक्ति रिकार्ड की जाएगी। इसके बाद उन आरोपों के लिए जांच-पड़ताल की जाएगी जिन्हें आरोपित अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। आरोपित अधिकारी, अपने बचाव के लिए सहायक रख सकता है रक्षा सहायक संबंधी प्रावधान नियम 14(8) में दिए गए हैं।

16. इसके पश्चात जांच प्राधिकारी, आरोप पत्र में सूचीबद्ध अभियोजन दस्तावेज आरोपित अधिकारी द्वारा देखे गए हैं कि नहीं, इसे विषय में प्रस्तकर्ता अधिकारी से पूछेगा ।ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, यदि आरोपी अधिकारी को नहीं दी गई हैं तो उसे दी जाएंगी। इसलिए आरोपित अधिकारी से उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिन्हें वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है। जांच अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों या गवाहों के संगत होने के आधार पर उनकी अनुमति देने पर विचार करेंगे। सामान्यत: कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य जो युक्तिसंगत प्रतीत होता है और बचाव में मददगार है ,की अनुमति दी जा सकती है। एक बार दस्तावेजों की अनुमति प्राप्त हो जाने पर, जांच प्राधिकारी इन दस्तावेजों के लिए इनके अभिरक्षक के पास मांग-पत्र भेजेंगे।

17. जब नियमित सुनवाई शुरू होगी, तब जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। ऐसे दस्तावेजों, जिन पर आरोपित अधिकारी द्वारा विवाद किया जाता है, का रिकॉर्ड पर लेने से पूर्व गवाहों द्वारा साबित किया जाना अपेक्षित होता है।

अविवादित दस्तावेजों को ही रिकॉर्ड पर लिया जाएगा तथा प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

गवाहों की जांच करना

18. इसके पश्चात्, आरोप-पत्र में सूचीबद्ध गवाहों को समन दिया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उन्हें उस क्रम में प्रस्तुत होने का चुनाव कर सकता है जिस क्रम में उपयुक्त समझे। इन गवाहों की जांच के दौरान निम्नलिखित रीति से पूछताछ की जाएगी। जांच मुख्य रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है। इसके पश्चात्, गवाह से प्रतिवादी द्वारा जिरह की जाएगी। जिरह के पश्चात्, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को गवाह की पुनः जांच करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। जांच में मुख्यतः सूचक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि, जिरह में उनकी अनुमति दी जाती है।

19. पूछताछ की प्रक्रिया में आरोपित अधिकारी को अभियोजन की ओर से उपस्थित होने वाले सभी गवाहों से जिरह करने के लिए अवसर दिया जाना अपेक्षित होता है। ऐसा न करने पर इसे आरोपित अधिकारी को उपयुक्त अवसर से वंचित करने के रूप में समझा जाएगा, जिसके फलस्वरूप पूछताछ दूषित होगी। यदि शिकायतकर्ता एक गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो उसकी भी जांच की जाएगी तथा उससे जिरह भी की जाएगी। तथापि, जांच अधिकारी ऐसे प्रश्नों को पूछने से मना कर सकता है जो शिकायतकर्ता सहित गवाहों के लिए अपमानजनक, असभ्य अथवा कष्टप्रद हों।

20. यदि जांच अधिकारी स्पष्टता के लिए कुछ तथ्यों का पता लगाना चाहता है तो वह गवाहों से प्रश्न कर सकता है। तथापि, इसे इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे ऐसा न लगे कि आरोपी अधिकारी के पक्ष में अथवा विरोध में कोई पक्षपात किया जा रहा है। इसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा आरोपी अधिकारी/बचाव सहायक की मौजूदगी में करना होता है। आरोपित अधिकारी के पीठ पीछे कोई पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। गवाहों की जांच बारी-बारी से की जाएगी तथा ऐसे अन्य गवाह जिनकी जांच या ता अभी की जानी है अथवा की जा चुकी है, उनको किसी गवाह की जांच के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाती है।

दैनिक आदेश पत्र

21. जांच प्राधिकारी दैनिक आदेश पत्र नामक दस्तावेज का भी रख-रखाव करेगा जिसमें पूछताछ संबंधी सभी प्रमुख घटनाओं तथा आरोपित अधिकारी अथवा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा किए गए अनुरोधों/अभ्यावेदनों तथा उन पर किए गए निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उदाहरण के लिए (i) यदि आरोपित अधिकारी गवाहों से जिरह करने से इन्कार करता है तो इसे दैनिक आदेश पत्र में रिकॉर्ड किया जाए (ii) दैनिक आदेश पत्र में यह रिकॉर्ड किया जाए कि आरोपित अधिकारी को सलाह दी गई थी कि उसे बचाव सहायक रखने का अधिकार है (iii) इसका भी

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि आरोपित अधिकारी को सूचित किया गया था कि उसको बचाव सहायक के रूप में सहायता करने के लिए कौन से व्यक्ति पात्र हैं। (iv) यदि आरोपित अधिकारी के बचाव सहायक के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को रखने के लिए अनुरोध की मौजूदा अनुदेशों के प्रकाश में स्वीकृति नहीं दी जाती है तो दैनिक आदेश पत्र में यह भी रिकॉर्ड किया जाए। दैनिक आदेश पत्र पर जांच अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा आरोपी अधिकारी/बचाव सहायक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

बचाव साक्ष्य

22. अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो जाने के पश्चात्, आरोपित अधिकारी को अपना बचाव विवरण प्रस्तुत करना होता है। इस विवरण में, आरोपित अधिकारी से अपने बचाव संबंधी मुद्दों को संक्षेप में सूचित करना अपेक्षित होता है। इसके पश्चात्, बचाव साक्ष्य को लिया जाएगा। साक्ष्य को उसी क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा जिस क्रम में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम, जांच अधिकारी द्वारा अनुमति दिए गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा तथा इसके पश्चात्, गवाहों को बुलाया जाएगा तथा उनकी जांच, जिरह तथा पुनः जिरह की जाएगी। यहां अंतर केवल यह होगा कि मुख्य रूप में जांच बचाव पक्ष द्वारा की जाएगी जबकि जिरह अभियोजन पक्ष द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात्, बचाव पक्ष के पास गवाह की पुनः जांच करने का अवसर होगा।

आरोपित अधिकारी की सामान्य जांच

23. बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्त हो जाने के बाद, जांच प्राधिकारी आरोपित अधिकारी से पूछेगा कि क्या वह अपनी तरह से गवाही देना चाहता है। यदि वह ऐसा करता है तो उससे बचाव पक्ष के अन्य गवाहों के समान ही पूछताछ की जाएगी। तथापि, यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो जांच प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उससे सामान्य प्रश्न पूछे। इस स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि नियम 14(8) के अनुसार इस स्तर का उद्देश्य आरोपित प्राधिकारी को उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली स्थिति के बारे में उसे सूचित करना होता है। इससे आरोपित अधिकारी जांच प्राधिकारी को स्थिति की जानकारी दे सकेगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और बचाव सहायक सामान्य जांच में भाग नहीं लेते है। जांच के दौरान आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

सारांश

24. इसके बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अपने पक्ष का सार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इस सार की एक प्रति आरोपित अधिकारी को दी जाएगी, दोनों प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और आरोपित अधिकारी को अपने पक्षों के सार को प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा।

25. इसके बाद जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट लिखता है जिसमें आरोप के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तथ्यों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट सुस्पष्ट होनी चाहिए जिसमें सभी तथ्य स्पष्ट हों जिसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। विश्लेषणों के आधार पर जांच अधिकारी आरोपों के संबंध में अपनी रिपोर्ट, जैसे वे साबित हो चुके हैं या नहीं, देगा। यदि कोई आरोप आंशिक रूप से साबित होता है तो जांच अधिकारी उस सीमा तक रिकार्ड करेंगे जिस सीमा तक आरोप साबित होता है।

<u>समिति की सिफारिशें करने की शक्तियां</u>

26. सामान्यतया, जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाली शिकायत समिति का कार्य भिन्न होता है। तथापि, शिकायत समिति उक्त पैरा 2 में उल्लिखित सहित अन्य सिफारिशें भी कर सकती हैः

- (ग) निर्धारित किए गए अनुसार पीड़ित महिला को अन्य ऐसी कोई राहत प्रदान करना; अथवा
- (घ) आरोपित अधिकारी के वेतन अथवा परिश्रमिक से ऐसी राशि की कटौती करना जिसे पीड़ित महिला को अथवा उसके कानूनन वारिसों को भुगतान किया जाना उपयुक्त समझा जाए।
- आरोपित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने, मृत्यु अथवा अन्यथा कारण से सेवा समापन के समय बकाया किसी राशि को अधिकारी अथवा उसके वारिसों को देय सेवांत लाभों से वसूल किया जाए।
- ऐसी प्रतिपूर्ति को दिनांक 19.11.2014 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा अन्तःस्थापित नियम 11 के स्पष्टीकरण (ix) के अनुसार सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 11 के अंतर्गत शास्ति माना जाएगा।
- समिति शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है, यदि आरोप दुर्भावनापूर्ण हों, अथवा शिकायतकर्ता यह जानता हो कि यह आरोप झूठा है, अथवा उसने कोई जाली अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।
- समिति किसी गवाह के विरूद्ध भी कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकती है यदि ऐसे गवाह ने झूठा साक्ष्य दिया हो अथवा कोई जाली अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

27. शिकायत समिति को यह भी ध्यान रखना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के होते हुए भी अनुच्छेद की धारा 16 के अनुसार, पीड़ित महिला तथा प्रतिवादी व गवाहों की पहचान और पते जांच की कार्यवाही समिति की सिफारिशें, किसी भी प्रकार से प्रकाशित, या जनता, प्रेस एवं मीडिया की जानकारी में नहीं लाई जाएगी बशर्ते कि अधिनियम के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित व्यक्ति को दिए गए न्याय के संबंध में सूचना को प्रसारित किया जाए। परंतु उसका

नाम, पता, पहचान या अन्य कोई विवरण जिससे पीड़ित महिला या गवाहों की पहचान हो सके, गुप्त रखा जाए।

28. उपर्युक्त स्तर पर जांच औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। जांच प्राधिकारी नियम 14(23)(11) में उल्लिखित दस्तावेजों सहित अलग फोल्डर तैयार करेगा।

निलंबन

29. किसी सरकारी कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात भी निलंबित किया जा सकता है जहां उसके कार्यालय में बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि यह आशंका है कि वह प्रमाणों एवं दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करेगा। निलंबन का सहारा उस तिथि में भी लिया जाएगा जब सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में बनाए रखना व्यापक लोकहित में नहीं होगा। जैसे यदि कोई सार्वजनिक घोटाला हुआ हो उस सरकारी कर्मचारी को यह प्रदर्शित करने के लिए निलंबित करना आवश्यक है कि सरकार की नीति घोटालों में लिप्त अधिकारियों से सख्ती से निपटने की है। नैतिक दृष्टि से नीच कार्यों में संलिप्तता के मामले में भी निलंबित करना वांछनीय होगा।

धमकी अथवा भयभीत करने की कार्यवाही हेतु विशिष्ट प्रावधान

30. अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 19(11) के अंतर्गत जांच कर सकते हैं और बिना जांच किए भी कार्यवाही की जा सकती है यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि ऐसी जांच करना व्यवहारिक नहीं है। इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने वाली परिस्थितियां जांच शुरू होने से पहले भी मौजूद हो सकती हैं अथवा जांच के दौरान भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां वहां उत्पन्न हुई मानी जाएंगीः

(i) जहां सरकारी कर्मचारी अपने साथियों के माध्यम से या उनके साथ मिलकर बदले की भावना से उसके विरूद्ध साक्ष्य देने वाले गवाहों को डराता, धमकाता अथवा संत्रास फैलाता है जिससे उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके; अथवा

(ii) जहां सरकारी कर्मचारी स्वयं अथवा एक साथ अथवा अन्य लोगों के साथ या उनके जरिए अनुशासनिक प्राधिकारी, समिति के सदस्यों, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अथवा उनके परिवार के सदस्यों को डराता धमकाता व संत्रास फैलाता है।

अनुशासनिक प्राधिकारी से यह आशा नहीं की जाती है कि वे जांच के संबंध में हल्के ढंग से, मनमाने तरीके से अथवा गुप्त अभिप्राय से कार्रवाई करेंगे क्योंकि सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध मामला कमजोर है।

***